



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-3 (प्रथम पॉली) भोपाल

Kendriya Vidyalaya No.3 (First Shift) Bhopal

Danish Nagar, Hoshangabad Road, Bhopal (M.P.)-462 026

Tel No.: 0755 - 4297829 (P) KV Code : 1094, Station Code : 052

CBSE Aff. No.1000073, School Code: 54134, DIES Code: 23320302431

Website: <https://no3bhopal.kvs.ac.in> E-mail : [kvno3bhopal@gmail.com](mailto:kvno3bhopal@gmail.com)

No.: F.CONDOM/KV3(I)/BPL/2022-23/

Date : 22/11/2022

## कम्प्यूटर विभाग (ई-वेस्ट) के अनुपयोगी सामानों के निस्तारण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-3 भोपाल (प्रथम पॉली एवं द्वितीय पॉली) में कम्प्यूटर विभाग के अनुपयोगी सामानों का निस्तारण करने के लिये मुहरबंद रेट "जहां है जैसी है" के आधार पर आमंत्रित किये जाते हैं। दर अंकितकर्ता अपनी फर्म के लेटरहेड/आवेदन पर रेट अंकित करके उसके साथ ई-वेस्ट का लायसेंस संलग्न कर उसे लिफाफे में सीलबंद कर विद्यालय में जमा करना होगा। रेट उसी फर्म के मान्य होंगे जिसके पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ई-वेस्ट का लायसेंस हो।

लिफाफे पर "अनुपयोगी कम्प्यूटर सामान के लिये रेट" आवश्यक रूप से लिखें। अनुपयोगी सामान दिनांक 29.11.2022 से 05.12.2022 तक विद्यालय कार्य दिवस में दोपहर 12 से 02 बजे के मध्य विद्यालय परिसर में आकर देख सकते हैं और अपने रेट सीलबंद लिफाफे में दिनांक 29.11.2022 से 05.12.2022 के बीच में दोपहर 12 से 03 बजे के बीच में जमा कर सकते हैं। सीलबंद रेट के लिफाफे दिनांक 06.12.2022 को दोपहर 12 बजे सक्षम अधिकारी के समक्ष खोले जावेंगे तथा जिसके रेट सर्वाधिक होंगे वह उसी समय नगद रूपया जमा कर सामान ले जाने का अधिकारी होगा।

ई-वेस्ट के रेट सीलबंद लिफाफे में अंकित कर जमा करने के उपरांत यह मान लिया जायेगा कि सामान आपने देख लिया है। तदुपरान्त ई-वेस्ट फर्म को सामान देने या नहीं देने के सर्वाधिकार विद्यालय के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होंगे। विद्यालय के कर्मचारी अथवा उनके परिवार के कोई भी सदस्य या संबंधी इस प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

### नियम एवं शर्तें

1. सर्वाधिक दर अंकितकर्ता को विद्यालय की समस्त नियम एवं शर्तें मान्य होंगी।
2. सर्वाधिक दर अंकितकर्ता उस सामग्री की राशि देने में असफल रहता है तथा सामग्री को कथित समय में ले जाने में असफल रहता है तो उक्त वस्तु के अगले सर्वाधिक रेट अंकित करने वाली फर्म को देने की प्रक्रिया की जायेगी।

3. सर्वाधिक दर अंकित हो जाने के बाद विद्यालय की किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं होगी।
4. उक्त प्रक्रिया में सफल रही फर्म उक्त सामग्री को उचित तरीके से निपटाने/निस्तारण के लिये जवाबदेह होगी, इस हेतु ई-वेस्ट का प्रमाण-पत्र भी देना होगा।



(डॉ० ऋतु पल्लवी)

प्राचार्य

प्राचार्य / Principal

केन्द्रीय विद्यालय-3, भोपाल

Kendriya Vidyalaya No.-3, Bhopal

प्रतिलिपि ई-मेल से सूचनार्थ :-

1. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति, केवि-3 भोपाल।
2. उपायुक्त, केविसं, क्षेका, भोपाल।
3. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय, भोपाल संभाग।
4. विद्यालय का सूचना पटल।
5. विद्यालय की वेबसाइट <https://no3bhopal.kvs.ac.in>

No.: F.CONDOM/KV3(I)/BPL/2022-23/

Date : 22/11/2022

## विद्यालय के विभिन्न विभागों के अनुपयोगी सामानों के निस्तारण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय कमांक-3 भोपाल (प्रथम पॉली एवं द्वितीय पॉली) में विभिन्न विभागों के अनुपयोगी सामानों का निस्तारण करने के लिये मुहरबंद रेट "जहां है जैसी है" स्थिति के आधार पर आमंत्रित किये जाते हैं। दर अंकितकर्ता को अपनी फर्म के लेटरहेड/आवेदन पर रेट अंकित करके उसे लिफाफे में सीलबंद कर विद्यालय में जमा करना होगा।

लिफाफे पर "अनुपयोगी विविध सामान के लिये रेट" आवश्यक रूप से लिखें। अनुपयोगी सामान दिनांक 29.11.2022 से 05.12.2022 तक विद्यालय कार्य दिवस में दोपहर 12 से 02 बजे के मध्य विद्यालय परिसर में आकर देख सकते हैं और अपने रेट सीलबंद लिफाफे में दिनांक 29.11.2022 से 05.12.2022 के बीच में दोपहर 12 से 03 बजे के बीच में जमा कर सकते हैं। सीलबंद रेट के लिफाफे दिनांक 06.12.2022 को दोपहर 12 बजे सक्षम अधिकारी के समक्ष खोले जावेंगे तथा जिसके रेट सर्वाधिक होंगे वह उसी समय नगद रूपया जमा कर सामान ले जाने का अधिकारी होगा।

सीलबंद लिफाफे में रेट अंकित कर लिफाफा विद्यालय में जमा करने के उपरांत यह मान लिया जायेगा कि सामान आपने देख लिया है। तदुपरान्त सामान को देने या नहीं देने के सर्वाधिकार विद्यालय के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होंगे। विद्यालय के कर्मचारी अथवा उनके परिवार के कोई भी सदस्य या संबंधी इस प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

### नियम एवं शर्तें

1. सर्वाधिक दर अंकितकर्ता को विद्यालय की समस्त नियम एवं शर्तें मान्य होंगी।
2. सर्वाधिक दर अंकितकर्ता उस सामग्री की राशि देने में असफल रहता है तथा सामग्री को दरे खुलने के 03 दिन के अंदर उक्त सामान अपने खर्च पर ले जाना होगा।
3. सर्वाधिक दर अंकित हो जाने के बाद विद्यालय की किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं होगी।

(डॉ० ऋतु पल्लवी)

प्राचार्य  
 प्राचार्य / Principal  
 केन्द्रीय विद्यालय-3, भोपाल  
 Kendriya Vidyalaya No.-3, Bhopal

प्रतिलिपि ई-मेल से सूचनार्थ :-

1. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति, केवि-3 भोपाल।
2. उपायुक्त, केविसं, क्षेत्रा, भोपाल।
3. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय, भोपाल संभाग।
4. विद्यालय का सूचना पटल।
5. विद्यालय की वेबसाइट <https://no3bhopal.kvs.ac.in>